



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07022026-269873
CG-DL-E-07022026-269873

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 547]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 5, 2026/माघ 16, 1947

No. 547]

NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 5, 2026/MAGHA 16, 1947

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 फरवरी, 2026

सं. 58 / 2025-26

विषय: आइटीसी (एचएस), 2022, अनुसूची-I कोड (एचएस) के अंतर्गत शामिल आइटीसी 71 के अध्याय (आयात नीति) की आयात नीति में संशोधन के संबंध में। 71141920

का.आ. 577(अ).—समय समय पर यथा संशोधित-विदेश व्यापार नीति, 2023 के पैरा 1.2 और 02. के साथ 01, अधिनियम (विकास एवं विनिमयन) पठित विदेश व्यापार 1992 की धारा के तहत प्रदत्त शक्तियों का 5 और धारा 3 (एचएस) केन्द्र सरकार एतद्वारा आइटीसी, प्रयोग करते हुए 2022-अनुसूची, के अंतर्गत 71 के अध्याय (आयात नीति) की आयात नीति में तत्काल प्रभाव से संशोधन करती है 71141920 कोड (एचएस) शामिल आइटीसी

1. अध्याय की आयात नीतिगत शर्त सं 716 को निम्नानुसार समाविष्ट किया गया है:

प्लैटिनम के सामान का आयात प्लैटिनम सामान, है। तथापि 'प्रतिबंधित' के आयात की निम्नलिखित श्रेणियां 'मुक्त' होंगी।

(क) विदेशों में प्रदर्शनी या निर्यात संवर्धन यात्राओं के लिए ले जाई गई भारतीय मूल की वस्तुओं का पुनः आयात 'मुक्त' होगा।

(ख) अस्वीकृतबिना बिके हुए भारतीय मूल की वस्तुओं का पुनः आयात।/वापस किए हुए/

(ग) मरम्मत के आशय से भारतीय मूल की वस्तुओं का पुनः आयात।

2. आइटीसी एचएस कोड की आयात नीति को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है: 71141920

आइटीसी कोड (एचएस)	मद विवरण	मौजूदा आयात नीति	मौजूदा नीतिगत शर्त	संशोधित आयात नीति	संशोधित नीतिगत शर्त
7114	गोल्ड स्मिथ या सिल्वरस्मिथ के कीमती धातु के सामान और उनके टुकड़े अथवा कीमती धातु से आच्छादित धातु	-	-	-	-
711419	,कीमती धातु - चाहे कीमती धातु से आच्छादित अथवा कीमती धातु :चढ़े हुए हों या नहीं अन्य कीमती -- चाहे कीमती ,धातु धातु से आच्छादित अथवा कीमती धातु चढ़े हुए हों या नहीं।	-	-	-	-
71141920	प्लैटिनम के --- सामान	मुक्त		प्रतिबंधित	इस अध्याय की नीतिगत शर्त सं . 6 के अधीन

अधिसूचना का प्रभाव के अंतर्गत शामिल मदों की आयात नीति को तत्काल प्रभाव से 71141920 आइटीसी एचएस कोड : “मुक्त” से संशोधित कर “प्रतिबंधित” किया गया है जो अध्याय .की नीतिगत शर्त सं 716 के अधीन है।

इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

[फा. सं. 01/89/180/93/एएम-24-पीसी/2 -ई/(ए)42179]

लव अग्रवाल, महानिदेशक विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th February, 2026

No. 58 / 2025-26

Subject: Amendment in import policy of ITC (HS) code 71141920 covered under Chapter 71 of ITC (HS), 2022, Schedule - I (Import Policy) - Reg.

S.O. 577(E).—In exercise of powers conferred by Section 3 and Section 5 of Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992, read with paragraph 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2023, as amended from time to time, the Central Government hereby amends the import policy of ITC (HS) code 71141920 covered under Chapter 71 of ITC (HS) 2022, Schedule - I (Import Policy) with immediate effect :

1. Policy Condition No. 6 of Chapter 71 is introduced as under:

The import of Platinum Articles is 'Restricted'. However, the following categories of Import of Platinum Articles shall be 'Free.'

- Re-import of Indian origin goods that have been carried for overseas exhibitions or export promotion tours.
- Re-import of Indian origin goods that are rejected/returned/unsold.
- Re-import of Indian origin goods intended for repair.

2. The import Policy of the ITCHS Code 71141920 is amended as under:

ITC(HS) Code	Item description	Existing Import Policy	Existing Policy Condition	Revised Import Policy	Revised Policy Condition
7114	Articles of goldsmiths or silversmiths wares and parts thereof, of precious metal or of metal clad with precious metal.	-	-	-	-
711419	- Of precious metal whether or not plated or clad with precious metal : -- Of other precious metal, whether or not plated or clad with precious metal	-	-	-	-
71141920	--- Articles of platinum	Free		Restricted	Subject to Policy Condition No. 6 of this Chapter

Effect of the Notification: The Import Policy of items covered under ITC HS Code 71141920 is revised from "Free" to "Restricted", subject to Policy Condition No. 6 of Chapter 71, with immediate effect.

This is issued with the approval of the Minister of Commerce & Industry.

[F. No. 01/89/180/93/AM-24/PC-2(A)/E-42179]

LAV AGARWAL, Director General of Foreign Trade & Ex-officio Addl. Secy.